



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या - 134/2026

मोहित

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, गृह, लखनऊ एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : नरेंद्र गुप्ता, मोहम्मद सलीम खान

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शा.अ.

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. द्वारा आज दाखिल किया गया प्रति शपथ पत्र अभिलेख पर लिया गया।

राज्य द्वारा विद्वान अ.शा.अ. ने न्यायालय को सूचित किया है कि वर्तमान आपराधिक अपील का नोटिस शिकायतकर्ता को तामील करा दिया गया है, और इस संबंध में संबंधित पुलिस थाने की आख्या को पूरक-शपथ पत्र के साथ संलग्नक संख्या सी.ए.-1 के रूप में संलग्न किया गया है।

आज जब इस मामले की सुनवाई हुई, तो न तो विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित था और न ही कोई प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है; इसलिए, इस न्यायालय के पास इस मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाकर इस अपील पर निर्णय देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना, और अभिलेख का भी अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वर्तमान आपराधिक अपील, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-क (2) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 392/2025, भा०न्या०सं० की धारा 87, 64(2)(ड), 127(2), 351(3) और (अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम की धारा 3(2)(V), थाना महोली, ज़िला सीतापुर, मामले में विद्वान विशेष न्यायाधीश अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम) लखनऊ द्वारा दिनांक 03.01.2026 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। यह आदेश ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 416/2025 के संबंध में पारित किया गया था, उक्त आदेश के द्वारा अपीलकर्ता के ज़मानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया था।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अपीलकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक देरी हुई है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने 24.09.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें यह बताया गया था कि उसकी बेटी 26.07.2025 से लापता थी। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि जब पीड़िता स्वयं 15.08.2025 को घर लौट आई, तो शिकायतकर्ता ने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें यह कहा गया था कि उसकी बेटी स्वयं ही किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी और वह इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। उन्होंने अंत में यह निवेदन किया कि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट एक महीने से भी अधिक समय बाद, दुर्भावनापूर्ण आशय से दर्ज कराई गई है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि पीड़िता 19 वर्ष की एक बालिग लड़की है और उसकी चिकित्सीय जाँच की गई थी, जिसमें उसे कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं पाई गई। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि पीड़िता ने अपनी मर्जी से उसके साथ शादी की थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता 18.12.2025 से जेल में निरुद्ध है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और यदि अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और वह मुकदमे की कार्यवाही में भी पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अपीलकर्ता साक्षियों या इस मामले के तथ्यों से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को डराएगा या उन पर दबाव डालेगा।

उपर्युक्त कारणों से, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है, तथा आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता रिहा किये जाने योग्य है।

इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अ. ने ज़मानत प्रार्थना पत्र का ज़ोरदार विरोध करते हुए यह निवेदन किया है कि अपीलकर्ता पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया, उसके साथ बलात्कार किया, और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शादी कर ली; साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है और विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के बयान को सही तरीके से समझा है; इसलिए, अपीलकर्ता ज़मानत पर रिहा होने का पात्र नहीं है और इस आपराधिक अपील को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। हालाँकि, वह अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए अन्य तथ्यात्मक तर्कों का खंडन करने में विफल रहे।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ है, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 24.09.2025 को दर्ज कराई गई थी, जबकि लापता होने की घटना 26.07.2025 की थी; जब पीड़िता 15.08.2025 को स्वयं घर लौट आई, तब शिकायतकर्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी बेटी स्वयं ही किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी और वह इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता; पीड़िता 19 वर्ष की एक वयस्क लड़की है और उसकी चिकित्सकीय जाँच की गई थी, जिसमें कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं पाई गई; पीड़िता ने स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ विवाह किया। अपीलकर्ता 18.12.2025 से जेल में निरुद्ध है, जबकि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; उसने यह वचन दिया है कि यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का यह मत है कि अवर न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सही मूल्यांकन करने में विफल

रहा है; अतः, अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाना उचित है।

तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है। परिणामस्वरूप, विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनु.जा./अनु.ज.जा. अधिनियम, लखनऊ द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 416/2025 में दिनांक 03.01.2026 को पारित किया गया आक्षेपित आदेश—जो मुकदमा अपराध संख्या 392/2025 से उत्पन्न हुआ है और जिसमें भा०न्या०सं० की धारा 87, 64(2)(ड), 127(2), 351(3) तथा अनु.जा./अनु.ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम की धारा 3(2)(V) के तहत, थाना महोली, जिला सीतापुर में मुकदमा दर्ज है—एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में अपीलकर्ता-**मोहित** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

- I. अपीलकर्ता परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।
- II. अपीलकर्ता परीक्षण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- III. अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- IV. अपीलकर्ता कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
- V. अपीलकर्ता, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- VI. अपीलकर्ता निर्धारित प्रत्येक नियत तिथि पर, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- VII. अपीलकर्ता साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- VIII. अपीलकर्ता, धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि अनुरूप आदेश पारित करे।

चूँकि यह आदेश अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

20 मार्च 2026

केकेवी/

(न्यायमूर्ति, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)